भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4312
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

अधिवक्ता संरक्षण विधेयक

4312. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वकीलों के साथ हिंसा करने तथा उन्हें धमकी देने और उनके अभित्रास की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान तथा वकीलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार वकीलों को हिंसा से बचाने के लिए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को अधिनियमित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके अधिनियमन की समय-सीमा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार के पास हिंसा और अभित्रास के पीड़ित वकीलों को मुआवजा प्रदान करने के लिए विधेयक में उपबंध शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का विचार वकीलों के विरुद्ध हिंसा और अभित्रास की घटनाओं की जांच के लिए विशेष कार्यबल गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : 'पुलिस और लोक व्यवस्था' की विषय वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अधीन आती है ।अत: अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपराधों को रोकना, पता लगाना, रजिस्ट्रीकृत करना और अन्वेषण कराना और अपराधियों का अभियोजन कराना राज्य सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व है ।

(ग) और (घ) : वर्तमान में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को अधिनियमित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

****